संख्याः पर (एपी)सी-ए (3)-5/2003-I
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नि0-III)

दिनांकः शिमला-171002 14 मार्च,2017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषयः भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने सम्बन्धी हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषीय मानक प्रपत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 25 जुलाई,2016 के क्रम को जारी रखते हुए जिसके साथ भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने सम्बन्धी संशोधित मानक प्रपत्र जारी किया गया है के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने तथा नियमों में संशोधन सम्बन्धी सभी प्रस्तावों में मानक प्रपत्र (Standard Format) अनुसार प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक है। विभिन्न विभागों से भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से सम्बन्धित प्राप्त हो रहे प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान पाया जा रहा है कि वर्तमान में भी अधिकतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम लम्बे अर्से से लागू हैं जिनके ज्यादातर प्रावधान अप्रचलित हैं। ऐसी अवस्था में इन नियमों में और संशोधन के प्रस्ताव के स्थान पर ऐसे नियमों को निरस्त करते हुए परिचालित मानक प्रपत्र के अनुरूप नये भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाया जाना अत्यधिक उपयुक्त होगा।

2. अतः आपसे अुनरोध है कि आपके अधीनस्थ ऐसे सभी पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो वर्तमान में परिचालित मानक प्रपत्र(Standard Format)के अनुरूप नहीं हैं को निरस्त करते हुए नये भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने की प्रक्रिया शुरु कर प्रस्ताव इस विभाग को भेजें।

3. उपरोक्त अनुदेश दृढ अनुपालना हेतु समस्त सम्बन्धित के ध्यान में लाने की कृपा करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश भण्डारी)
अवर सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाषः0177-2628499

संख्याः पर (एपी)सी-ए (3)-5/2003-I दिनांकः शिमला-2, 14 मार्च,2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत हैः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-171002.
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-171002.

(ओम प्रकाश भण्डारी)
अवर सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।